न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 174/2025

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू.राजस्व अधिनियम

बनवारी लाल पुत्र श्री पतराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्री बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी चक 6 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिए श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री महेश दादरवाल वादी
अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।
पैरोकार राज प्रति.–2

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17.12.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी व अन्य खातेदार सोहनलाल पुत्र सहीराम, सुरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल के नाम से वाके चक 15 एम एल श्रीगंगानगर में मुरब्बा नम्बर 16 में 1.210 हैक्टेयर व मुरब्बा नं0 13 में 1.189 हैक्टेयर हिस्सा दर्ज कागजात माल था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 0.303 हैक्टेयर वादी का 0.303 हैक्टेयर एवं मोहनलाल पुत्र सहीराम का 0.302 हैक्टेयर, सुरेन्द्र पुत्र मोहनलाल का 0.302 हैक्टेयर एवं सोहनलाल पुत्र सहीराम एवं सुरेन्द्र पुत्र मोहनलाल का मुरब्बा नं0 13 में 1.189 हैक्टेयर रकबा दर्ज कागजात माल था। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी व अन्य खातेदार आपस में एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण अपनी सुविधानुसार एक पंजीकृत तबादला दिनांक 11.07.2018 को निष्पादित किया गया। जिसके अनुसार अन्य खातेदार सोहनलाल पुत्र सहीराम व सुरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल को मुरब्बा नं0 16 की 1.210 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर–बराबर हिस्सा में आया। और वादी बनवारी लाल को मुरब्बा नं0 13 के किला नम्बर 11 में 0.253 हैक्टेयर व किला नम्बर 19/2 में 0.100 हैक्टेयर एवं किला नम्बर 22 में 0.253 हैक्टेयर रकबा यानि कुल 0.606 हैक्टेयर नहरी रकबा में से 0.303 हैक्टेयर रकबा हिस्सा में आया। प्रतिवादी संख्या 1 को मुरब्बा नं0 13 के किला नम्बर 11 में 0.253 हैक्टेयर किला नं0 19 / 2 में 0.100 हैक्टेयर में मुरब्बा नं0 22 में 0.253 हैक्टेयर कुल रकबा 0.606 हैक्टेयर में से 0.303 हैक्टेयर रकबा हिस्सा में आया अन्य खातेदार सोहनलाल पुत्र सहीराम, सुरेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल के हिस्सा में मुरब्बानं0 13 के किला नम्बर 20 में 0.053 हैक्टेयर व किला नं0 21 में 0.053 हैक्टेयर एवं किला नं0 19/3 में 0.026 हैक्टेयर एवं किला नं0 25 में 0.51 हैक्टेयर कुल 0.583 हैक्टेयर हिस्सा में आयी । जिसका बाद में खातेदार सोहनलाल व सुरेन्द्र कुमार द्वारा किला नं0 19/3 में 0.26 हैक्टेयर एवं किला नं0 20 में 0.040 हैक्टेयर कुल 0.065 हैक्टेयर रकबा प्रतिवादी संख्या 1 को दान – पत्र में दे दी गयी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुरब्बा नं0

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

13 के किला नम्बर 11 में 0.127 हैक्टेयर मय खाल किला नं0 19 में 0.089 हैक्टेयर रकबा व किला नं0 20 में 0.040 हैक्टेयर एवं मुरब्बा नं0 22 में 0.127 हैक्टेयर कुल 0.368 हैक्टेयर हिस्सा रकबा आया तथा वादी के नाम मुरब्बा नं0 13 के किला नं0 11 में 0.126 हैक्टेयर व किला नं0 19/2 में 0. 050 हैक्टेयर एवं किला नं० 22 में 0.126 हैक्टेयर कुल 303 हैक्टेयर रकबा हिस्सा में आया है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था लेकिन सहबन से राजस्व रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो सका। जिसको दुरूस्त करवाना आवश्यक है। वादी द्वारा इसकी दुरूस्ती हेतु श्रीमान तहसीलदार से संपर्क किया तो श्रीमान न्यायालय का आदेश लाने हेतु आदेशित किया गया। यही वाद कारण है । वाद पत्र श्री मान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है एवं उचित कोर्टफीस पर अन्दर अवधि पेश है । अतः वाद वादी निम्न प्रकार से डिकी किया जावे कि :–

1 – यह कि वाके चक 15 एम एल के खाता संख्या 112/142 में वादी का राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादी का 0.303 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का इस खाता में 0.368 हैक्टेयर हिस्सा दर्ज किया जावे।

2– यह कि अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हक में दिलाना उचित समझे दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वाके चक 15 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 112/142 के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 1/1, 11/2, 19/2, 20/4, 20/6, 22 की कुल 0.6715 हैक्टयर नहरी मय खाला की दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा हेतू माननीय न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसमें पक्षकारान का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। पक्षकारान को चक 15 एम. एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं. 119/97 के मुरब्बा नं. 13 के किला नं. 11 सालम, किला नं. 19/2 में 0.100 है0, किला नं. 22 सालम कुल 0.606 हैक्टयर यानि दोनों पक्षकार को 1/2–1/2 हिस्सा तबादलानामा में प्राप्त हुआ है जिसका इंतकाल संख्या 724 भी पक्षकारान के नाम से हो चुका है जिसके बाद द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी सं. 1 राम कुमार द्वारा 0.0655 है0 रकबा उपहार पत्र में मिलने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 का 0.3685 हैक्टयर रकबा बनता है तथा प्रथम पक्ष/वादी बनवारी लाल का 0.3030 हैक्टयर रकबा बनता है लेकिन जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073(वर्ष 2019) में प्रतिवादी के नाम से समस्त आराजी त्रुटिवश दर्ज हो गई है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का 0.3685 हैक्टयर रकबा ही बनता है एवं वादी का 0.3030 हैक्टयर रकबा है इस प्रकार जमाबन्दी में दुरूस्त कर दिया जावे तो पक्षकारान को कोई उज्र, आपति, ऐतराज नही है। लिहाजा उपरोक्त राजीनामा पेश कर निवेदन हैं कि उक्त राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाकर उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाया जावें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 15 एम एल, पटवार हल्का 6 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 112/42, कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.07.2012 की प्रति, इन्तकाल संख्या 723 की प्रति पेश की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात, जमाबन्दी साक्ष्यों के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 चक 15 एम एल, पटवार हल्का 6 एलएनपी, भू.अ.नि. क्षेत्र चक महाराजका खाता संख्या 112/142 में वादी का राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादी का 0.303 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का इस खाता में 0.368 हैक्टेयर हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17.12.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner